

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

वैवा.अ. सं. 61/2005

निर्णय सुरक्षित: 16 मई, 2008

निर्णय उद्घोषित : 2 जुलाई, 2008

श्री. सुरेंद्र पाल
पुत्र. श्री. एस. देवेंद्र सिंह
पता. टी-1704, देशबंधु गुप्ता रोड
आनंद पर्वत चौक, करोल बाग,
नई दिल्ली

....अपीलार्थी

द्वारा: श्री राजन भाटिया,
अधिवक्ता।

बनाम

श्रीमती. कंवलजीत कौर
पत्नी. श्री. सुरेंद्र पाल
पुत्री. श्री. हरपाल सिंह
पता. 126, एम.डी.डी.ए. कॉलोनी
लक्ष्मण चौक,
देहरादून (उत्तरांचल)...

...प्रत्यर्थी

द्वारा: नीमो

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.बी. गुप्ता

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हां
2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हां
3. क्या निर्णय की सूचना डाइजेस्ट में दी जानी चाहिए? हां

न्या. वी.बी. गुप्ता

वर्तमान अपील अपीलार्थी/पति द्वारा श्री जे.पी.एस. मलिक, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांकित 20.01.05 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गयी थी, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने क्रूरता/अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद याचिका को खारिज कर दिया था ।

2. विवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दोनों पक्षों के बीच विवाह दिनांक 24.01.99 को नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाब गंज में सिख रीति रिवाजों के अनुसार अनुष्ठापित हुआ था। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी रिश्तेदार थे और प्रत्यर्थी अपीलार्थी के मामा की बेटी है। पक्षों के बीच विवाह से, दिनांक. 20.10.99 को एक पुत्री का जन्म हुआ था।

3. यह अभिकथित किया गया है कि विवाह के तुरंत बाद, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से उसके माता-पिता से अलग रहने कि मांग

करनी शुरू कर दी और उसके विकल्प में देहरादून स्थानांतरण होने की मांग की, जहां प्रत्यर्थी के माता-पिता रह रहे थे और वहां अपना व्यवसाय शुरू करने को कहा। प्रत्यर्थी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा किया करती थी। हनीमून से लौटने के तुरंत पश्चात् प्रत्यर्थी ने अपने माता-पिता के कहने पर दिनांक. 15.02.99 को एक अलग रहने के लिए अपनी मांग दोहराई और जब याचिकाकर्ता ने अपनी असमर्थता व्यक्त की, तो प्रत्यर्थी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति में अपीलार्थी पर चिल्लाना शुरू कर दिया।

4. दिनांक. 24.02.99, को प्रत्यर्थी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया और अपीलार्थी की इच्छा के विरुद्ध देहरादून में अपने माता-पिता के घर चली गई और यह तभी हुआ जब अपीलार्थी और उसका भाई दिनांक.10.03.99 को देहरादून गए हुए थे, प्रत्यर्थी बहुत मनाने के बाद लौट कर आई ।

5. यह अभिकथन किया गया है कि बच्चे के जन्म के पश्चात, प्रत्यर्थी का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया और वह घर के कामों से दूर रहने लगी, उसने याचिकाकर्ता की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने से इंकार कर दिया और जब दिनांक 20.01.2000 को, जब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को यह समझाने की

कोशिश की कि वह उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद ना करे, तो प्रत्यर्थी क्रोध में आकर खड़ी हुई और उसका कॉलर पकड़कर उसे गाली देने लगी। अपनी शादी की सालगिरह के दिन यानी दिनांक. 24.01.2000 को, प्रत्यर्थी ने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया और अपीलार्थी को कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। पुनः 20.10.2000 को बच्चे के जन्मदिन पर, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के माता-पिता से हिस्सा लेने के बाद एक अलग निवास या स्थायी रूप से देहरादून स्थानांतरित करने की अपनी मांग को दोहराया और जब वह सहमत नहीं हुआ तो, वह अपीलार्थी के पिता पर चिल्लाने लगी और क्रोध में आकर बच्चे को फर्श पर फेंक दिया और यहां तक कि अपीलार्थी के पिता के साथ हाथापाई करने की भी कोशिश की।

6. दिनांक. 25.12.2000 को प्रत्यर्थी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया और बिना किसी अनुमति या सहमति के अपीलार्थी की अनुपस्थिति में देहरादून चली गयी, और मार्च, 2001 तक वहीं रही और बहुत मनाने के पश्चात फिर से साथ रहना शुरू किया।

7. यह अभिकथन किया गया है कि दिनांक. 21.03.01 को, अपीलार्थी के परिवार ने गुरुद्वारा फतेह नगर नई दिल्ली में एक विकल्प की व्यवस्था की थी, परंतु प्रत्यर्थी ने वहां जाने से

इन्कार कर दिया और अपीलार्थी ने भी यह कहते हुए इन्कार इन्कार किया कि उसे उसकी दुकान पर जरूरी काम था। अनिच्छा पूर्वक, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ देहरादून जाने का विकल्प चुना और उसे देहरादून में प्रतिवादी के पिता और भाई का पारिवारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

8. लगभग एक महीने पश्चात, अपीलार्थी को लखनऊ में प्रत्यर्थी के भाई के घर स्थांतरित होने का निर्देश दिया गया। वहाँ वित्तीय मामलों को लेकर झगड़ा हुआ और पक्षकारों को वहाँ से दिनांक 25.05.01 को बाहर निकाल दिया गया।

9. इसके पश्चात, दोनों पक्ष देहरादून में प्रत्यर्थी के माता-पिता के घर पर रुके।

10. दिनांक 08.06.01 को, प्रत्यर्थी और उसके माता-पिता ने अपीलार्थी से उसके माता-पिता से अपना हिस्सा लेने के लिए कहा और प्रत्यर्थी के नाम पर हिस्सा हस्तांतरित करने और आने वाले समय में हमेशा के लिए देहरादून में बसने के लिए कहा।

11. दिनांक 09.06.01 को, अपीलार्थी दिल्ली वापस आ गया।

12. दिनांक. 29.07.02. को, अपीलार्थी अपने माता-पिता के साथ देहरादून गया और प्रत्यर्थी से उसके वैवाहिक घर में साथ रहने का अनुरोध किया। सभी प्रयास विफल हो गए।

13. इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद याचिका दायर की जिसमें अभिकथन किया गया कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्रूरता की है और उसने अपीलकर्ता के साथ रहने से खुद को अलग कर लिया है।

14. इस प्रक्रिया को बार-बार प्रत्यर्थी को उसके देहरादून पते पर भेजी गई थी। यह रिपोर्ट प्राप्त हुआ कि प्रत्यर्थी मुंबई में रह रही थी। प्रत्यर्थी को सामान्य तरीके से सेवा नहीं दी जा सकती थी और दैनिक जागरण में घोषणा द्वारा सेवा प्रभावित की गई थी। चूंकि प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ एक-पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया और विचारण न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद की याचिका को खारिज कर दिया गया।

15. अपीलार्थी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के विचाराधीनता रहने के दौरान भी, प्रत्यर्थी ने दिनांक. 11.12.02 को अपीलार्थी के साथ समझौता किया और अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच किए गए

पारस्परिक समझौते के संदर्भ में प्रत्यर्थी को 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया परंतु प्रत्यर्थी ने समझौते पर कोई क्रिया नहीं की और उसने कभी भी पारस्परिक सहमति से विवाह का विघटन सुनिश्चित करने के लिए कोई साथ नहीं दिया।

16. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि विचारण न्यायालय परिस्थितियों की समग्रता को समझने में विफल रहा है और गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा उसे दी गयी क्रूरता के उदाहरणों को सामने लाने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि इन अभिकथनों के अतिरिक्त प्रत्यर्थी उस पर अपने माता-पिता से अलग रहने के लिए जोर दे रही है और अन्य अभिकथन घरेलू जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव के कारण प्रकृति में तुच्छ हैं। याचिका में इस प्रकार उल्लिखित अभिकथन गंभीर प्रकृति के हैं जिनका अपीलार्थी के मस्तिस्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और अस्थिर वैवाहिक जीवन के कारण उनके दिन-प्रतिदिन के काम में बाधा आई है। विचारण न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रही है कि अपीलार्थी द्वारा लगाए गए अभिकथन पर्याप्त नहीं हैं और

प्रत्यर्थी के प्रति क्रूरता का कोई आधार नहीं बनाया गया है या अपीलार्थी क्रूरता या त्याग के आधार पर प्रत्यर्थी के साथ विवाह विघटन की राहत का हकदार नहीं है।

17. क्रूरता हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 13 के तहत विवाह-विच्छेद का आधार है। धारा 13 में यह प्रावधान है कि, जहां तक यह महत्वपूर्ण है:

"13. विवाह-विच्छेद I- (1) कोई भी विवाह, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात्, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि-

(i) x x x x x

(िक) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है; या]

(िख) से (vii)x x x x x x

स्पष्टीकरण- x x x x x "

18. 'क्रूरता' शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। डी. टॉल्स्टॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ डिवोर्स एंड मैट्रिमोनियल कॉज्ज" (छठा संस्करण, पृष्ठ 61) में क्रूरता को इन शब्दों में परिभाषित किया है:

“क्रूरता जो विवाह के विघटन का एक आधार है, उसे इस प्रकार जानबूझकर और अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक को खतरा हो, या ऐसे खतरे की उचित आशंका पैदा होती हो।”

19. *द शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी* "क्रूरता" को "क्रूर होने का गुण; पीड़ा देने का स्वभाव; दूसरे के दर्द में खुशी या उदासीनता; निर्दयता; कठोर हृदय" के रूप में परिभाषित करती है।

20. "मानसिक क्रूरता" शब्द को *ब्लैक लॉ डिक्शनरी* [8वें संस्करण, 2004] में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“मानसिक क्रूरता - विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में, एक पति या पत्नी का आचरण (वास्तविक हिंसा शामिल नहीं) जो ऐसी पीड़ा पैदा करता है कि यह दूसरे पति या पत्नी के जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।”

21. क्रूरता की अवधारणा को *हैल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड* [Vol.13, चौथा संस्करण, पैरा 1269] में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

“क्रूरता के सभी मामलों में सामान्य नियम यह है कि पूरे वैवाहिक संबंध पर विचार किया जाना चाहिए, और यह नियम विशेष महत्व का है जब क्रूरता में हिंसक कृत्य नहीं बल्कि हानिकारक निंदा, शिकायत, आरोप या ताने शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में जहां कोई

हिंसा नहीं की जाती है, कुछ श्रेणियों के कृत्यों या आचरण को बनाने की दृष्टि से न्यायिक घोषणाओं पर विचार करना अवांछनीय है क्योंकि उनमें ऐसी प्रकृति या गुणवत्ता है जो उन्हें क्रूरता के बराबर सभी परिस्थितियों में सक्षम या अक्षम बनाती है; क्योंकि यह क्रूरता की शिकायत का आकलन करने में अपनी प्रकृति के बजाय आचरण का प्रभाव है जो सर्वोपरि महत्व रखता है। क्या एक पति या पत्नी दूसरे के प्रति क्रूरता का दोषी रहे है, यह अनिवार्य रूप से तथ्यात्मक सवाल है और पहले तय किए गए मामलों का बहुत कम, यदि कोई हो, मूल्य है। न्यायालय को पक्षकारों की शारीरिक और मानसिक स्थिति के साथ-साथ उनकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, और एक पति या पत्नी के व्यक्तित्व और आचरण के दूसरे के दिमाग पर प्रभाव पर विचार करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से पति या पत्नी के बीच सभी घटनाओं और झगड़ों को तौलना चाहिए; आगे, कथित आचरण की जाँच शिकायतकर्ता की सहनशीलता की क्षमता और उस क्षमता के बारे में दूसरे पति या पत्नी को किस हद तक पता है, के आलोक में की जानी चाहिए। क्रूरता के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादा आवश्यक नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जहां यह बाहर निकलता है।”

22. अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस 2डी, 24 में, "मानसिक क्रूरता"

शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“अपने जीवनसाथी के प्रति बिना उकसावे के आचरण के रूप में मानसिक क्रूरता जो शर्मिंदगी, अपमान और

पीड़ा का कारण बनती है जिससे जीवनसाथी का जीवन दयनीय और असहनीय हो जाता है। अभियोक्ता को प्रतिअभियोक्ता की ओर से एक ऐसा आचरण दिखाना चाहिए जो अभियोक्ता के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को इस तरह से खतरे में डालता है कि निरंतर सहवास असुरक्षित या अनुचित हो, हालांकि अभियोक्ता को शारीरिक दुरुपयोग के वास्तविक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।”

23. **डॉ. एन.जी. दास्ताने बनाम एस. दास्ताने, ए.आई.आर.**

1975 एस.सी. 1534, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी किया है;

"क्या क्रूरता के रूप में आरोपित आचरण ऐसे चरित्र का है जो याचिकाकर्ता के मन में एक उचित आशंका पैदा करता है कि प्रत्यर्थी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक या हानिकारक होगा।"

24. **शोभा रानी बनाम मधुखर रेड्डी ए.आई.आर. 1988**

एस.सी. 121, के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी किया है;

“धारा 13 (1) (आई.ए.) "याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार" शब्द का उपयोग करती है। "क्रूरता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। वास्तव में इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता था। इसका उपयोग मानव आचरण या मानव व्यवहार के संबंध में किया गया है। यह वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध

में या उनके संबंध में आचरण है। यह एक के आचरण का एक तरीका है जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। यदि यह भौतिक है तो न्यायालय को इसे निर्धारित करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह तथ्य और डिग्री का सवाल है। यदि यह मानसिक है तो समस्या कठिनाई उत्पन्न करती है। सबसे पहले, क्रूर व्यवहार की प्रकृति के बारे में जांच शुरू होनी चाहिए। दूसरा, जीवनसाथी के मन में इस तरह के व्यवहार का प्रभाव होना चाहिए। भले ही इसने उचित आशंका पैदा की हो कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक होगा या नुकसानदेह। अंततः, यह आचरण की प्रकृति और शिकायत करने वाले पति या पत्नी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकालने का विषय है। हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ शिकायत किया गया आचरण काफी खराब हो और अपने आप में गैरकानूनी या अवैध हो। फिर दूसरे पति या पत्नी पर पड़ने वाले प्रभाव या हानिकारक प्रभाव की जांच या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, क्रूरता स्थापित की जाएगी यदि आचरण स्वयं साबित हो जाता है या स्वीकार किया जाता है।”

न्यायालय ने आगे टिप्पणी किया;

“जिस संदर्भ और व्यवस्था में धारा में” क्रूरता “शब्द का उपयोग किया गया है, हमें लगता है कि यह इरादा क्रूरता में एक आवश्यक तत्व नहीं है। शब्द को वैवाहिक मामलों में शब्द के सामान्य अर्थ में समझना होगा। यदि नुकसान पहुँचाने, परेशान करने या चोट पहुँचाने के इरादे का अनुमान आचरण या प्रकृति से

लगाया जा सकता है। क्रूरता की शिकायत की गई, क्रूरता को आसानी से स्थापित किया जा सकता था। लेकिन इरादे की अनुपस्थिति में से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर मानवीय मामलों में सामान्य अर्थों में, उस कार्य की शिकायत को अन्यथा क्रूरता माना जा सकता है। पक्षकारों को इस आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जानबूझकर या इच्छा से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है।”

25. वी. भगत बनाम डी. भगत, (1994) 1 एस.एस.सी. 337

के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी किया है:

“धारा 13 (1) (आई. ए.) में मानसिक क्रूरता को मोटे तौर पर उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पक्ष को ऐसी मानसिक पीड़ा और पीड़ा देता है जिससे उस पक्ष के लिए दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि पक्षों से उचित रूप से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अन्यायपूर्ण पक्ष को इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता है। यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि मानसिक क्रूरता याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के लिए है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचते समय, सामाजिक स्थिति, पक्षों के शैक्षिक स्तर, जिस समाज में वे चलते हैं, यदि वे पहले से ही अलग रह रहे हैं तो

एक साथ रहने की संभावना या अन्यथा और अन्य सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिन्हें न तो संभव है और न ही पूरी तरह से निर्धारित करना वांछनीय है। एक मामले में जो क्रूरता है वह दूसरे मामले में क्रूरता नहीं हो सकती है। यह प्रत्येक मामले में उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाने वाला मामला है। यदि यह आरोप-प्रत्यारोप का मामला है, तो उस संदर्भ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें वे लगाए गए थे।”

26. *सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे ए.आई.आर. 2002*

एस.सी. 591, के मामले में फिर से, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की है;

“मानसिक क्रूरता अन्य जीवनसाथी का आचरण है जो दूसरे के वैवाहिक जीवन में मानसिक पीड़ा या भय का कारण बनता है। इसलिए, “क्रूरता, याचिकाकर्ता के साथ इस तरह की क्रूरता के व्यवहार को स्वीकार करती है कि उसके या उसकी मन में एक उचित आशंका पैदा हो कि याचिकाकर्ता के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा। हालाँकि, क्रूरता को पारिवारिक जीवन के सामान्य टूट-फूट से अलग करना होगा। यह याचिकाकर्ता की संवेदनशीलता के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है और इसे उस आचरण के आधार पर तय किया जाना चाहिए जो सामान्य रूप से पति या पत्नी के लिए दूसरे के साथ रहना खतरनाक होगा।”

27. *प्रवीण मेहता* बनाम *इंद्रजीत मेहता, ए.आई.आर. 2002*

एस.सी. 2582, के मामले सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि क्रूरता क्या है;

“धारा 13 (1) (आई.ए.) के उद्देश्य के लिए क्रूरता को एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के प्रति व्यवहार के रूप में लिया जाना चाहिए, जिससे पति या पत्नी के मन में उचित आशंका पैदा होती है कि उसके लिए दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखना सुरक्षित नहीं है। मानसिक क्रूरता पति या पत्नी में से एक के साथ दूसरे के व्यवहार या व्यवहार के कारण मन और भावना की स्थिति है। शारीरिक क्रूरता के मामले के विपरीत मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित करना मुश्किल है। यह आवश्यक रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालने का विषय है। एक पति या पत्नी में दूसरे के आचरण के कारण होने वाली पीड़ा, निराशा और हताशा की भावना की सराहना केवल उन उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करने पर की जा सकती है जिनमें दोनों पति या पत्नी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। सम्मिलित तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। मानसिक क्रूरता के मामले में अलगाव में दुर्व्यवहार का उदाहरण लेना और फिर यह सवाल उठाना कि क्या ऐसा व्यवहार अपने आप में मानसिक क्रूरता पैदा करने के लिए पर्याप्त है, सही तरीका नहीं होगा। दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि अभिलेख पर साक्ष्य से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का संचयी प्रभाव लिया जाए और फिर एक उचित निष्कर्ष

निकाला जाए कि क्या विवाह-विच्छेद याचिका में याचिकाकर्ता को दूसरे के आचरण के कारण मानसिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है।”

28. *ए. जयचंद्र बनाम अनील कौर, ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 534*, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पण किया है कि;

अभिव्यक्ति "क्रूरता" को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है। क्रूरता जो विवाह के विघटन के लिए एक आधार है, को ऐसे चरित्र के जानबूझकर और अनुचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन, अंग या स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक रूप से खतरे का कारण बनता है, या इस तरह के खतरे की उचित आशंका को जन्म देता है। मानसिक क्रूरता के सवाल पर उस विशेष समाज के वैवाहिक संबंधों के मानदंडों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जिससे पक्ष संबंधित हैं, उनके सामाजिक मूल्य, स्थिति, पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, क्रूरता में मानसिक क्रूरता शामिल है, जो वैवाहिक गलती के दायरे में आती है। क्रूरता शारीरिक नहीं होनी चाहिए। यदि उसके पति या पत्नी के आचरण से यह स्थापित किया जाता है और/या वैध रूप से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पति या पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार है जिससे दूसरे पति या पत्नी के मन में उसके मानसिक कल्याण के बारे में आशंका पैदा होती है तो यह आचरण क्रूरता के बराबर है। विवाह जैसे नाजुक मानवीय संबंधों में, मामले की

संभावनाओं को देखना पड़ता है। अवधारणा, संदेह की छाया से परे एक सबूत, आपराधिक मुकदमों पर लागू किया जाना है न कि दीवानी मामलों पर और निश्चित रूप से पति और पत्नी जैसे नाजुक व्यक्तिगत संबंधों के मामलों पर नहीं। इसलिए, किसी को यह देखना होगा कि किसी मामले में क्या संभावनाएं हैं और कानूनी क्रूरता का पता लगाना होगा, न केवल तथ्य के रूप में, बल्कि दूसरे के कार्यों या चूक के कारण शिकायतकर्ता पति या पत्नी के दिमाग पर प्रभाव के रूप में। क्रूरता शारीरिक या शारीरिक या मानसिक हो सकती है। शारीरिक क्रूरता में, ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन मानसिक क्रूरता के मामले में एक ही समय में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, अदालतों को साक्ष्य में सामने लाई गई घटनाओं की मानसिक प्रक्रिया और मानसिक प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता होती है। यही विचार है कि वैवाहिक विवादों में साक्ष्य पर विचार करना पड़ता है।”

न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया;

“क्रूरता माने जाने के लिए, शिकायत किया गया आचरण "गंभीर और प्रभावपूर्ण" होना चाहिए ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि याचिकाकर्ता पति या पत्नी से दूसरे पति या पत्नी के साथ रहने की उचित रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह "वैवाहिक जीवन के सामान्य झगड़ों" से कुछ अधिक गंभीर होना चाहिए। परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आचरण की जांच इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए की जानी चाहिए कि क्या शिकायत किया गया आचरण

वैवाहिक कानून में क्रूरता के बराबर है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आचरण पर कई कारकों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि पक्षों की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा, शारीरिक और मानसिक स्थिति, रीति-रिवाज और परंपराएं। एक सटीक परिभाषा निर्धारित करना या परिस्थितियों का विस्तृत विवरण देना मुश्किल है, जो क्रूरता को गठित करेगी। यह न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार का होना चाहिए कि पति या पत्नी के आचरण के कारण पक्षों के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए हों कि उनके लिए मानसिक पीड़ा, यातना या संकट के बिना एक साथ रहना असंभव हो, जिससे शिकायत करने वाले पति या पत्नी को विवाह-विच्छेद प्राप्त करने का अधिकार मिल सके। शारीरिक हिंसा क्रूरता का गठन करने के लिए आत्यन्तिक रूप आवश्यक नहीं है और अथाह मानसिक पीड़ा और यातना देने वाले आचरण का एक सुसंगत पाठ्यक्रम अधिनियम की धारा 10 के अर्थ के भीतर क्रूरता का गठन कर सकता है। मानसिक क्रूरता में अभद्र और गाली - गलौज की भाषा का उपयोग करके मौखिक दुर्व्यवहार और अपमान शामिल हो सकते हैं जिससे दूसरे पक्ष की मानसिक शांति में लगातार परेशानी होती है।

क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की याचिका पर विचार करने वाले न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि उसके सामने मनुष्य की समस्याएं हैं और विवाह-विच्छेद की याचिका का निपटारा करने से पहले जीवनसाथी के आचरण में मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा। हालाँकि, महत्वहीन या तुच्छ,

ऐसा आचरण दूसरे के मन में पीड़ा पैदा कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि आचरण को क्रूरता कहा जा सके, इसे गंभीरता के एक निश्चित स्तर को छूना चाहिए। यह न्यायालय का काम है कि वह गंभीरता का आँकलन करे। यह देखना होगा कि क्या आचरण ऐसा था कि कोई भी उचित व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता को इसे सामान्य मानव जीवन के एक हिस्से के रूप में सहन करते रहना चाहिए। प्रत्येक वैवाहिक आचरण, जो दूसरे को परेशान कर सकता है, क्रूरता के बराबर नहीं हो सकता है। केवल मामूली परेशानियाँ, पति-पत्नी के बीच झगड़े, जो दिन-प्रतिदिन के वैवाहिक जीवन में होते हैं, भी क्रूरता के बराबर नहीं हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में क्रूरता निराधार विविधता की हो सकती है, जो सूक्ष्म या क्रूर हो सकती है। यह शब्द, हाव-भाव या केवल मौन, हिंसक या अहिंसक हो सकता है।

एक अच्छे विवाह की नींव सहिष्णुता, समायोजन और एक दूसरे का सम्मान करना है। एक-दूसरे की गलती के प्रति कुछ हद तक सहनशीलता प्रत्येक विवाह में निहित होनी चाहिए। छोटी-मोटी बहसों, मामूली मतभेदों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए, जिसे स्वर्ग में बना हुआ माना जाता है, वह नष्ट हो जाए। प्रत्येक विशेष मामले में क्रूरता क्या है, यह निर्धारित करने के लिए सभी झगड़ों को उस दृष्टिकोण से तौला जाना चाहिए और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमेशा पक्षों की शारीरिक और मानसिक स्थितियों, उनके चरित्र और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत अधिक तकनीकी और अति-संवेदनशील दृष्टिकोण व वैवाहिक समाज के लिए

प्रतिकूल होगा। न्यायालयों को आदर्श पतियों और आदर्श पत्नियों के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पहले इसे विशेष पुरुष और महिला से निपटना होता है। आदर्श दम्पति या मात्र एक के आदर्श होने से वैवाहिक न्यायालय में जाने की शायद कोई आवश्यकता नहीं होगी।” संभवतः वैवाहिक न्यायालय में जाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा।”

29. विनीता सक्सेना बनाम पंकज पंडित ए.आई.आर 2006

एस.सी. 1662 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय, ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की है;

"उक्त प्रावधान के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित मानसिक क्रूरता क्या है, यह ऐसी घटनाओं की संख्यात्मक गणना या केवल ऐसे आचरण के निरंतर क्रम पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि वास्तव में इसकी तीव्रता, गंभीरता और कलंकपूर्ण प्रभाव पर निर्भर करेगा, जब यह एक बार भी किया जाता है और एक अनुकूल वैवाहिक घर को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानसिक दृष्टिकोण पर इसके हानिकारक प्रभाव पर निर्भर करेगा।

यदि ताने, शिकायतें और निन्दाएं केवल सामान्य प्रकृति की हैं, तो न्यायालय को शायद आगे के सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कुछ समय तक उनके बने रहने या दृढ़ता से, अन्यथा, सामान्य रूप से इतना गंभीर कार्य इतना हानिकारक और दर्दनाक नहीं होगा कि उनके साथ आरोपित पति या पत्नी को वास्तव में और उचित रूप से यह निष्कर्ष

निकालना पड़े कि वैवाहिक घर का रखरखाव अब संभव नहीं है।”

30. इस इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि क्रूरता के आरोपों के संबंध में, आरोप घरेलू जीवन की सामान्य टूट-फूट के कारण प्रकृति में मामूली हैं। जब वे देहरादून और लखनऊ में रह रहे थे तब अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यर्थी की ओर से क्रूरता के किसी भी कृत्य का कोई आरोप नहीं है। अपीलार्थी के लिए यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं है कि प्रत्यर्थी के साथ रहना उसके लिए अब सुरक्षित नहीं था। प्रत्यर्थी के खिलाफ क्रूरता का कोई आधार नहीं पाया गया है। इसलिए, अपीलार्थी क्रूरता के आधार पर प्रत्यर्थी के साथ अपने विवाह के विघटन की राहत का हकदार नहीं है।

31. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13 (1) (आई.बी.) विवाह-विच्छेद के आधार के लिए अभित्यजन का प्रावधान करती है। वह इस प्रकार है;

“13. विवाह-विच्छेद - (1) कोई भी विवाह, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात्, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि-

(i) x x x x x

(िक) x x x x x

(ख) दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम दो वर्ष की निरन्तर कालावधि पर अर्जीदार के अभित्यक्त रखा है; या]

(ii) से (vii) x x x x

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में "अभित्यजन" पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो और इसके अन्तर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी है और इस पद के व्याकरणक रूपभेदों तथा सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे ।]

32. "अधिनियम के तहत तलाक लेने के उद्देश्य से "अभित्यजन" का अर्थ है एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की सहमति के बिना तथा बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर स्थायी रूप से त्याग देना। दूसरे शब्दों में यह विवाह के दायित्वों का पूर्ण खंडन है। परित्याग किसी स्थान से हटना नहीं बल्कि किसी वस्तु की स्थिति से हटना है। इसलिए, अभित्यजन का अर्थ है वैवाहिक दायित्वों से हटना, यानी, पक्षों के बीच सहवास की अनुमति न देना और उसे सुविधाजनक न बनाना। विवाह की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अभित्यजन के प्रमाण पर विचार किया जाना चाहिए, जो कानून में जाति की निरंतरता को

बनाए रखने के लिए समाज में पुरुष और महिला के बीच यौन संबंध को वैध बनाता है, जो अनैतिकता और बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए वासना में वैध संलिप्तता की अनुमति देता है। अभित्यजन अपने आप में एक पूर्ण कार्य नहीं है; यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत निर्धारित किए जाने वाले आचरण का एक निरंतर प्रक्रिया है।

33. सर्वोच्च न्यायालय ने *बिपिनचंद्र जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती, ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 176* मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की है;

"अभित्यजन के अपराध के लिए, जहाँ तक अभित्यजन करने वाले पति या पत्नी का संबंध है, दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, अर्थात्, (1) अलगाव का तथ्य, और (2) सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा (अभित्यजन का आशय)। इसी प्रकार, जहां तक परित्यक्त पति या पत्नी का संबंध है, दो तत्व आवश्यक हैं: (1) सहमति का अभाव, और (2) आचरण का अभाव जो पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए पूर्वोक्त आवश्यक इरादा बनाने के लिए उचित कारण देता है। विवाह-विच्छेद के लिए याचिकाकर्ता क्रमशः दोनों पति-पत्नियों में उन तत्वों को साबित करने का बोझ वहन करता है। यहाँ अंग्रेजी कानून और बॉम्बे विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के बीच एक अंतर को इंगित किया जा सकता है। जबकि अंग्रेजी कानून के तहत उन आवश्यक शर्तों को विवाह-

विच्छेद मुकदमा शुरू होने से तुरंत पहले के तीन वर्षों के दौरान जारी रहना चाहिए, अधिनियम के तहत, यह अवधि चार वर्ष की है, बिना यह निर्दिष्ट किए कि यह विवाह-विच्छेद के मुकदमा कि कार्यवाही शुरू होने से तुरंत पहले होनी चाहिए। अंतिम खंड के छूट जाने से कोई व्यावहारिक परिणाम होगा या नहीं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामले में इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अभित्यजन एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाना चाहिए। निष्कर्ष कुछ ऐसे तथ्यों से निकाला जा सकता है जो किसी अन्य मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम न हों; अर्थात्, तथ्यों को उस उद्देश्य के रूप में देखा जाना चाहिए जो उन कार्यों से या आचरण और इरादे की अभिव्यक्ति से प्रकट होता है, जो पृथक्करण के वास्तविक कार्यों से पहले और बाद में दोनों में होता है। यदि वास्तव में अलगाव हुआ है, तो आवश्यक प्रश्न हमेशा यही है कि क्या वह कृत्य किसी अभित्यजन का आशय कि भावना के कारण हो सकता है। अभित्यजन का अपराध तब शुरू होता है जब अलगाव का तथ्य और अभित्यजन का आशय भावना एक साथ मौजूद हों। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे एक ही समय पर शुरू हों। वास्तविक अलगाव आवश्यक अभित्यजन का आशय के संयोग के बिना भी शुरू हो सकता है; उदाहरण के लिए, जब अलग होने वाले पति या पत्नी, सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने के इरादे से, व्यक्त या निहित, वैवाहिक घर को छोड़ देते हैं।"

34. सर्वोच्च न्यायालय ने लछमन उतमचंद कृपलानी बनाम मीना उपनाम मोटा, ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 40 के मामले में फिर से कानूनी स्थिति को दोहराया ।
35. अभित्यजन का अपराध दो साल की अवधि बिताने के बाद ही पूरा होता है। इस प्रकार, कथित अभित्यजन की तारीख से दो वर्ष पूरा होने से पहले पति की याचिका को विचारण न्यायालय ने सही ढंग से खारिज कर दिया था।
36. कई निर्णित मामलों की भावना की पृष्ठभूमि में, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पूरी तरह से विवाह-विच्छेद के लिए अपीलार्थी की याचिका का आदेश न देने में न्यायसंगत था ।
37. वर्तमान अपील तदनुसार खारिज कर दी गई है।
- 38 विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड को वापस भेजा जाए।

न्या. वी.बी. गुप्ता

2 जुलाई, 2008

आरएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।